

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

दिनांक- 20/8/24

// आदेश //

क्रमांक 717 /295/आउशि/शा.1/2024 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के पाठ्यक्रमों बीएड., एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएडएमएड (एकीकृत तीन वर्षीय) एवं बीएबीएड, बीएससीबीएड, बीएलएड तथा बीएड अंशकालीन तीन वर्षीय में तथा राज्य शिक्षा केन्द्र के संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग का द्वितीय अतिरिक्त चरण दिनांक 21.08.2024 से 01.09.2024 तक निम्नानुसार आयोजित किया जाता है :-

क्र.	कार्य का विवरण	निर्धारित तिथियाँ	
		दिनांक से	दिनांक तक
अतिरिक्त चरण			
1	(अ) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे) । (ब) द्वितीय अतिरिक्त चरण में आवंटन हेतु, पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनःशिक्षण संस्थाओं का चयन / वरीयता प्राप्त करना ।	21.08.2024	23.08.2024
2	निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन	21.08.2024	23.08.2024
3	त्रुटिपूर्ण एवं अपठनीय दस्तावेजों के आवेदकों द्वारा निकट के हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर सत्यापन कराना	21.08.2024	23.08.2024
4	समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन	24.08.2024	
5	मेरिट एवं वरीयता अनुसार अतिरिक्त चरण में सीट आवंटन	29.08.2024	
6	आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का ऑनलाईन भुगतान किया जाना	29.08.2024	31.08.2024
7	समस्त चरणों में प्रवेश ले चुके आवेदकों द्वारा संबंधित हेल्प सेंटर पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाने तथा मूल टी.सी. जमा करने की अंतिम तिथि	01.9.2024	

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.

कमांक 718 / 295 / आउशि / शा.1 / 2024

दिनांक 20/8/24

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा ग.प्र.।
2. स्टॉफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन अधिकारी एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल (म.प्र.)।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
5. कुलसचिव समस्त संबंधित विश्वविद्यालय म.प्र.।
6. प्राचार्य समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय (एन.सी.टीई. के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित हेल्प सेंटर) म.प्र.।
8. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम संचालन करने वाली समस्त संस्थाएं म.प्र.
9. एन.सी.टीई. के पाठ्यक्रम संचालन करने वाली समस्त संस्थाएं मध्यप्रदेश।
10. वि.क.अ. आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

-की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.